अध्याय 3

केंद्र और राज्यों की वित्त प्रवृत्तियां

3.1 इस अध्याय में हमने केंद्रीय और राज्य वित्तों की कुछ महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों पर विशेष रूप से नब्बे के दशक के आरम्भ में शुरु किए गए आर्थिक सुधारों की अवधि की प्रवृत्तियों पर गौर किया है। राजकोषीय सुधार, जो कि आर्थिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण घटक है, उनमें इस अवधि के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान के क्षेत्र में काफी अधिक परिवर्तन करने आवश्यक हो गए थे। नब्बे के दशक में भी ऐसे अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन अनुभव किए गए जिनका केंद्रीय और राज्य के वित्तों पर प्रभाव पड़ा है। पांचवे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनों में संशोधन करना था। राज्य भी एक-एक करके, अपने कर्मचारियों के लिए तुलनीय वेतनमानों को लागू करने पर सहमत हो गए, चाहे वे किसी दबाव में आकर ही सहमत हुए हों। नब्बे के दशक के उत्तरार्द्ध में जब तक कि मुद्रास्फीति और ब्याज दरों में गिरावट आनी शुरु नहीं हुई थी, कुछ एक सांकेतिक ब्याज दरें अधिकतम स्तर पर बनी हुई थीं। नए दशक के प्रथम कुछ वर्षों में जैसा कि पिछले अध्याय में पहले ही चर्चा की जा चुकी है, अर्थव्यवस्था अत्यधिक मंदी के दौर से गुजरी, जिसमें हाल के वर्षों में कुछ सांकेतिक और वास्तविक वृद्धि दरें निम्नतम स्तर पर रहीं, साथ ही वर्ष 2002-03 में भयंकर सूखे की स्थिति भी बनी रही थी। वर्ष 2000 में कर सुधारों को सरल और सुसाध्य बनाने तथा कर-भागीदारिता व्यवस्थाओं के आधार को व्यापक बनाने, सीमित अपवादों के साथ सभी केंद्रीय करों की भागीदारिता के लिए व्यवस्था करने, केवल आय कर और संघ उत्पाद शुल्कों की भागीदारिता की पूर्ववर्ती व्यवस्था को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से संविधान में किए गए अस्सीवें संशोधन के साथ ही राजकोषीय अन्तरणों की प्रणाली में भी चरणबद्ध परिवर्तन किए गए थे।

3.2 तर्क के तौर पर वर्ष 1997-98 से 2002-03 के छः वर्षों के दौरान सरकार के वित्त पर कमजोर कर देने वाला प्रभाव पड़ा था। प्रथम तीन वर्षों ने वित्त व्यवस्था को दबाव में डाल दिया था क्योंकि वेतन में संशोधन करने पड़े थे और ब्याज दरें ऊंचे स्तर पर विद्यमान थीं, और अगले तीन वर्षों में निम्नस्तरीय विकास और भयंकर सूखे के कारण ऐसा हुआ था। ऊर्ध्वस्थ और अनुप्रस्थ असंतुलनों पर अपने विचारों को तय करने की पृष्ठभूमि तैयार कराने और राजकोषीय अन्तरणों की समग्र स्कीम की दृष्टि से हमने (क) केन्द्रीय वित्तों, (ख) सकल राज्य वित्तों और (ग) तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में अलग-अलग राज्यों के वित्तों में प्रमुख प्रवृत्तियों की जांच की है।

केंद्रीय वित्तों की प्रवृत्तियां

3.3 केंद्रीय वित्तों में प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने के लिए हमने राजस्व प्राप्तियों के, विशेष रूप से कर राजस्वों, सकल और व्यापक श्रेणियों में व्यय और ऋण के रूप में निर्देशकों पर ध्यान केंद्रित किया है। तथापि, हमने सर्वप्रथम राजकोषीय असंतुलनों के पार्श्वचित्र की जांच की है क्योंकि यह विभिन्न राजस्वों और व्ययों के निष्पादन के निवल निष्कर्ष के दृष्टिकोण का सार प्रस्तुत करता है।

केंद्रः राजकोषीय असंतुलन की रूपरेखा

3.4 हम राजकोषीय असंतुलन के तीन संकेतकों को देखते हैंः राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। राजस्व घाटा उस सीमा को निर्दिष्ट करता है जिस सीमा तक वर्तमान प्राप्तियां उन राजस्व व्ययों को पूरा करने में सक्षम नहीं होती जिसके लिए परिसम्पत्ति निर्माण की बजाय वर्तमान व्यय को वित्तपोषित करने के लिए उधार लेने की आवश्यकता पड़ती है। यह उस सरकारी उपभोग व्यय का प्रतिनिधित्व करता है जिसका वित्तपोषण पूंजी प्राप्तियों द्वारा किया जाना अपेक्षित होता है। गैर-ऋणकारी पूंजी प्राप्तियों के एक लघु भाग के अतिरिक्त इन पूंजी प्राप्तियों में वे निवल उधार शामिल होते हैं जिसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। प्राथमिक घाटा उस राजकोषीय घाटे के तुल्य होता है जो उधार ली गई निधियों के निवल अन्तःप्रवाह में से ब्याज अदायगियों को घटाने के बाद आई राशि को व्यक्त करता है और यह अन्तरण भुगतानों के रूप में बाह्य प्रवाहों का प्रतिनिधित्व करता है। प्राथमिक घाटों को जब तक ब्याज दर की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित नहीं किया जाएगा, वे ऋण के रूप में बढ़ते ही जाएंगे। एक सम्बद्ध उपाय, यथा, राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे का अनुपात उस सीमा को निर्दिष्ट करता है जिस सीमा तक उधारों का उपयोग वर्तमान खर्चों के लिए किया जाता है।

3.5 सारणी 3.1 में वर्ष 1990-91 से अब तक के केंद्रीय वित्तों के संबंध में राजकोषीय असंतुलनों के विभिन्न निर्देशकों की रूपरेखा दी गयी है। वर्ष 1990-1991 से राजकोषीय घाटे की तुलना में 1999-2000 से पूर्व के आंकड़ों के लिए एक समायोजन किया जाना अपेक्षित होगा क्योंकि लघु बचतों के कारण राज्यों को दिए जाने वाले ऋण राष्ट्रीय लघु बचत निधि के लोक लेखा के माध्यम से जारी नहीं किए गए थे और वे केंद्र के राजकोषीय घाटे का एक हिस्सा बन गए थे। जैसाकि सारणी 3.1 में दिया गया है, इस समायोजन के पश्चात केंद्र का राजकोषीय घाटा पहले तो वर्ष 1990-91 में 6.6 प्रतिशत के स्तर से गिरकर वर्ष 1996-97 में 4.1 प्रतिशत के स्तर पर आ गया था, उसके बाद यह 1997-98 से बढना आरम्भ हुआ और 2001-02 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.2 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया था। उसके पश्चात सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्षतः केंद्र के राजकोषीय घाटे में गिरावट आई। इसी प्रकार का पार्श्वचित्र राजस्व घाटे के मामले में भी पाया गया जो 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद के 3.3 प्रतिशत से गिरकर 1996-97 में 2.4 प्रतिशत तक आने के बाद तेजी से बढ़कर 2001-02 में 4.4 प्रतिशत के स्तर पर आ गया था। वर्ष 2002-03 में प्राथमिक घाटे में कमी आने के कारण राजकोषीय घाटे में कुछ सुधार आया और यह सकल घरेलू उत्पाद के 5.9 प्रतिशत पर बना रहा, यद्यपि राजस्व घाटा वर्ष 2001-02 के लगभग उसी स्तर पर बना रहा। वर्ष 2003-04

सारणी 3.1

केन्द्र : राजकोषीय असंतुलनों की रूपरेखा

(सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)

वर्ष	राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा	प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व का अनुपात (प्रतिशत)
1990-91	6.61	3.26	2.83	49.36
1991-92	4.72	2.49	0.65	52.72
1992-93	5.33	2.76	0.72	51.73
1993-94	6.43	3.81	2.15	59.21
1994-95	4.74	3.06	0.39	64.60
1995-96	4.23	2.50	0.02	59.16
1996-97	4.11	2.38	-0.24	58.01
1997-98	4.81	3.05	0.50	63.45
1998-99	5.14	3.85	0.67	74.78
1999-00	5.41	3.49	0.75	64.55
2000-01	5.69	4.08	0.93	71.74
2001-02	6.18	4.39	1.47	71.06
2002-03	5.87	4.37	1.10	74.36
2003-04 स.अ.	4.77	3.60	0.27	75.59

स्रोतः केन्द्रीय बजट दस्तावेज और भारतीय लोक वित्त सांख्यिकी, 2002-03।
वर्ष 2003-04 के आंकड़े संशोधित अनुमान हैं।
राजकोषीय घाटे के आंकड़ों में लघु बचतों के मुकाबले राज्यों का हिस्सा शामिल नहीं किया गया है।
प्राथमिक घाटे को राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटाकर निकाला गया है।

(सं.अ.) में राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 4.8 प्रतिशत और 3.6 प्रतिशत रह जाने के कारण स्थिति में सुधार दिखायी दिया था।

3.6 दीर्घकाल तक विकृति राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे के अनुपात में पायी गयी जो उस सीमा को निर्दिष्ट करते हुए कि जिस सीमा तक उधार लिए गए संसाधनों का प्रयोग वर्तमान व्ययों के लिए किया गया हो, राजकोषीय घाटे की कोटि को प्रकट करते हैं। वर्ष 1990-91 में यह अनुपात लगभग 50 प्रतिशत था। यह धीरे-धीरे बढ़ते हुए 1998-99 में 75 प्रतिशत पर आ गया। उसके पश्चात कुछ सुधार आया लेकिन 2003-04 में यह अनुपात बढ़कर पुनः 75.6 प्रतिशत के स्तर पर आ गया था जो सूचित करता है कि उधार ली गयी राशि का तीन-चौथाई हिस्सा कुछ वर्षों में विद्यमान उपभोग के लिए प्रयोग में लाया गया था।

3.7 एनएसएसएफ की लोक लेखा देयताओं सहित केंद्र की बकाया देयताएं जो 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद के 55.3 प्रतिशत से गिरने के पश्चात वर्ष 1998-99 में 51.2 प्रतिशत के स्तर पर आ गयीं थीं, 2002-03 में बढ़कर 63.1 प्रतिशत के स्तर पर आ गईं। तथापि, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में देयताओं में मामूली गिरावट आई और 2003-04 में 62.6 प्रतिशत पर आ गईं थी, उनके पुनः बढ़कर 2004-05 के अन्त तक सकल घरेलू उत्पाद के 63.96 प्रतिशत पर आने की संभावना है। तथापि, राजकोषीय घाटे के और अधिक अनुरुप ऋण में परिवर्तन करने के उद्देश्य से एनएसएसएफ के माध्यम से राज्यों को दिए गए उधारों के लिए समायोजन करने के बाद केंद्र के उस ऋण पर विचार करना लाभप्रद होगा जिसके बदले में राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों के रूप में केंद्रीय सरकार के पास समान परिसम्पत्तियां हैं। यदि ऐसा किया जाता है तो केंद्र का ऋण जो 1998-99 में 51.2 प्रतिशत था, वर्ष 2002-03 में बढ़कर 57.2 प्रतिशत दिखाया जाएगा जो 6 प्रतिशतांक बिंदुओं की वृद्धि प्रकट करेगा। उसके बाद, अनुमान है कि यह वर्ष 2004-05 में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 53 प्रतिशत रह जाएगा जब सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरें एक बार ब्याज दर से अधिक हो जाएंगी और केंद्र भी एनएसएसएफ और अन्यों को अपनी कुछ देनदारियों को चुकाने में समर्थ हो पाएगा जो कि उसने ऋण चुकाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों से उधार लिए थे। यह ध्यान दिया जाए कि ऋण के इन अनुमानों में वे विदेशी ऋण शामिल हैं जिनका मूल्यांकन पारंपरिक विनिमय दरों पर लगाया गया है। जब विदेशी ऋण का मूल्यांकन प्रचलित विनिमय दरों पर किया गया हो उसमें समायोजन की आवश्यकता पर चर्चा अध्याय IV में की गयी है।

केंद्र का सकल कर-राजस्व

3.8 आर्थिक सुधारों के मुख्य उद्देश्यों में से एक राजकोषीय समेकन के साथ प्रत्यक्ष करों, व्यक्तिगत और निगम आय करों, दोनों

को ही युक्तियुक्त बनाया गया था। दर श्रेणियों की संख्या के साथ-साथ सीमांतिक आय कर दरों को भी पर्याप्त रूप से कम किया गया था। मुख्य केंद्रीय वस्तुगत करों, अर्थात संघ उत्पाद शुल्कों और सीमा शुल्कों में भी परिवर्तन किए गए थे। सीमा शुल्कों के मामले में, शीर्ष दरों के साथ-साथ सम्पूर्ण दर-श्रेणियों की टैरिफ दरों में भारी कटौतियां की गयी थी। सुधारों की प्रक्रिया में कर की श्रेणियों तथा छूट के क्षेत्रों में भी कटौतियां की गयी। संघ उत्पाद शुल्कों के मामले में मूल्य वर्धित कराधान का सिद्धान्त अपनाया गया था जो पहले तो संशोधित वैट (मोडवैट) के रूप में और बाद में केंद्रीय वैट (सेनवैट) के रूप में था। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों पर इन सुधारों का प्रभाव आधारिक दृष्टि से विपरीत रहा। एक ओर जहां प्रत्यक्ष करों ने निम्नस्तरीय दरों के साथ बढ़ते हुए कर-सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात को दर्शाया, वहीं दूसरी ओर अप्रत्यक्ष करों के लिए यह अनुपात घटता हुआ दिखायी दिया। अप्रत्यक्ष करों का केंद्र के कुल कर राजस्वों में बहुत बड़ा भाग होता है और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात की तुलना में अप्रत्यक्ष करों में गिरावट प्रत्यक्ष करों में वृद्धि द्वारा प्रतिसंतुलित नहीं हो सकती। इसके परिणामस्वरुप, समग्र केंद्रीय कर-सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में गिरावट आई। रेखा चित्र 3.1 वर्ष 1970-71 से लेकर अब तक के सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में केन्द्र के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर राजस्वों में परिवर्तन के उस पैटर्न को प्रकट करता है जो विगत में इन दो प्रकार के करों द्वारा अदा की गई विपरीत भूमिका को प्रकट करने की दृष्टि से बनाया गया है। सुधारों से पूर्व न केवल अप्रत्यक्ष करों ने अधिक योगदान दिया था बल्कि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में इनमें क्रमिक वृद्धि भी हुई थी जबकि प्रत्यक्ष कर सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2 प्रतिशत पर स्थिर बने रहे। नब्बे के दशक के बाद सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष अप्रत्यक्ष करों में गिरावट शुरु हो गयी लेकिन उनके समग्र योगदान के रूप में ये अभी भी केंद्र के प्रत्यक्ष करों की अपेक्षा अधिक हैं।

3.9 सारणी 3.2 में सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्षतया चार प्रमुख केंद्रीय करों यथा, निगम कर, आय कर, सीमा शुल्क और संघीय उत्पाद शुल्कों से प्राप्त राजस्वों को दर्शाया गया है। केंद्रीय करों से सकल प्राप्तियों पर विचार करते हुए केंद्र का कर-सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात वर्ष 1990-91 में 10.1 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2002-03 में 8.8 प्रतिशत रह गया था। इस गिरावट में प्रमुख योगदान करने वाला सीमा शुल्क था जो सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्षतया 1990-91 में 3.6 प्रतिशत से कम होकर 2002-03 में आधा अर्थात 1.8 प्रतिशत रह गया था। जैसा कि पहले उल्लेख हो चुका है, इसका कारण डब्ल्यूटीओ की वचनबद्धताओं की लहर में आयात शुल्क दरों में चरणबद्ध कटौतियां किया जाना और सार्वभौमिक दृष्टि से प्रतिस्पर्धी होना था। अधिक गंभीर बात सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सीमा शुल्क के संग्रहों के अनुपात में इसी अवधि के दौरान 1 प्रतिशतांक बिंदु की गिरावट आना था जो सकल घरेलू उत्पाद के 4.3 प्रतिशत से गिरकर 3.3 प्रतिशत पर आ गया था। प्रत्यक्ष कर राजस्व जो 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद के 1.9 प्रतिशत के स्तर पर थे, वे बढ़कर 2002-03 में 3.4 प्रतिशत के स्तर पर आ गए लेकिन सीमा तथा उत्पाद शुल्कों से राजस्व में हुई हानियों की पूर्णतया भरपाई नहीं हो पायी जिसके परिणामस्वरुप कर-सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात कम बना रहा।

3.10 सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में संघ उत्पाद शुल्कों से राजस्व में गिरावट के अन्य कारणों के साथ-साथ प्रमुख कारण कराधार में प्रतिपूरक वृद्धि के बगैर औसत कर दरों में कटौती किया जाना था। सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि के साथ कराधार में सेवाओं को पूर्णतया समाविष्ट किए बगैर सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष घरेलू अप्रत्यक्ष करों के अनुपात में वृद्धि किया जाना न तो व्यवहार्य है और न ही वांछनीय। सेवा क्षेत्र, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में पचास प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा होता है, वह 1994 से ही कराधान के अधीन रहा है और सेवा कर का दायरा भी बढ़ता जा रहा है लेकिन सेवा कर से होने वाला संग्रह सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत से नीचे के स्तरों पर ही बना हुआ है।

चित्र 3.1

केन्द्र के कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपातः प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष कर तक (1970-71 से 2002-03 तक)

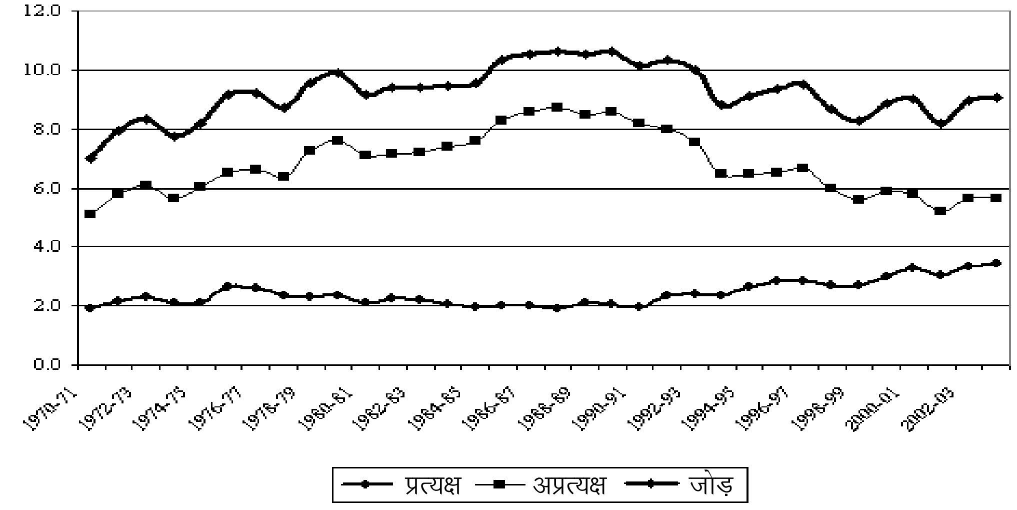

3.11 केन्द्र के सकल कर राजस्वों का संघटन बुनियादी तौर पर निगम कर और आय कर के पक्ष में परिवर्तित हो गया है, जैसा कि सारणी 3.2 में निर्दिष्ट है। निगम कर का हिस्सा वर्ष 1990-91 में केंद्र की सकल राजस्व प्राप्तियों के 9.3 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 सं.अ. में 24.7 प्रतिशत हो गया है, जो 15.4 प्रतिशतांक बिंदुओं की वृद्धि दर्शाता है। इसी अवधि के दौरान, आय कर में 6.5 प्रतिशतांक बिंदुओं की वृद्धि हुई है जो 2003-04 सं.अ. में केंद्र की सकल राजस्व प्राप्तियों का 15.8 प्रतिशत हिस्सा थी। इसी अवधि के दौरान सीमा शुल्कों और संघ उत्पाद शुल्कों में क्रमशः 16.5 प्रतिशतांक और 6.4 प्रतिशतांक बिंदुओं की गिरावट आयी। यह लगभग इस रूप में समान रहा कि सीमा-शुल्कों में हुई अत्यधिक हानियों को निगम कर में वृद्धि द्वारा पूरा कर लिया गया और संघ उत्पाद शुल्कों की हानियों की भरपाई आय कर से प्राप्त राजस्वों में हुई तदनुरुप वृद्धि से कर ली गई।

सारणी 3.2

केंद्र के प्रमुख कर : 1990-91 से आगे का कर निष्पादन

(सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)

वर्ष	निगम कर	आय कर	सीमा शुल्क	संघ उत्पाद शुल्क	कुल केंद्रीय कर राजस्व (सकल)
1990-91	0.94	0.95	3.63	4.31	10.12
1991-92	1.20	1.03	3.41	4.30	10.31
1992-93	1.19	1.06	3.18	4.12	9.97
1993-94	1.17	1.06	2.58	3.69	8.82
1994-95	1.36	1.19	2.65	3.69	9.11
1995-96	1.39	1.31	3.01	3.38	9.36
1996-97	1.36	1.33	3.13	3.29	9.41
1997-98	1.31	1.12	2.64	3.15	9.14
1998-99	1.41	1.16	2.34	3.06	8.26
1999-00	1.58	1.32	2.50	3.20	8.87
2000-01	1.71	1.52	2.28	3.28	9.03
2001-02	1.60	1.40	1.76	3.18	8.20
2002-03	1.87	1.49	1.82	3.33	8.76
2003-04आर	2.27	1.45	1.78	3.33	9.20
वर्ष	**केंद्र के सकल कर राजस्वों के प्रतिशत के रूप में**				
1990-91	9.27	9.34	35.85	42.58	
1991-92	11.66	9.99	33.04	41.73	
1992-93	11.92	10.58	31.86	41.31	
1993-94	13.28	12.04	29.30	41.85	
1994-95	14.98	13.03	29.02	40.46	
1995-96	14.82	14.02	32.15	36.13	
1996-97	14.42	14.16	33.28	34.95	
1997-98	14.38	12.28	28.87	34.45	
1998-99	17.06	14.08	28.28	37.03	
1999-00	17.87	14.94	28.19	36.04	
2000-01	18.93	16.84	25.21	36.33	
2001-02	19.57	17.11	21.53	38.79	
2002-03	21.35	17.04	20.74	38.06	
2003-04आर	24.71	15.80	19.36	36.24	

स्रोत (मूल आंकड़े): केंद्रीय बजट दस्तावेज और भारतीय लोक वित्त सांख्यिकी

केंद्र : कर-भिन्न राजस्व

3.12 केंद्र के कर-भिन्न राजस्व, जिसमें मुख्यतः ब्याज प्राप्तियां, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों से प्राप्त लाभांश और आर्थिक सेवाओं से प्राप्तियां शामिल होती हैं, 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.11 प्रतिशत से बढ़कर 1992-93 में 2.98 के स्तर पर आ गए थे लेकिन इन्होंने 1999-2000 के पश्चात कोई महत्वपूर्ण वृद्धि प्रदर्शित नहीं की। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर-भिन्न प्राप्तियों में उतार-चढ़ाव आता रहा जो 1999-00 में 2.75 प्रतिशत से 2001-02 में 2.97 प्रतिशत के बीच रहीं, उसके बाद मुख्यतः ब्याज प्राप्तियों में गिरावट आने के कारण जो ऋण-विनिमय स्कीम और ब्याज दर के क्षेत्र को उदार बनाने के फलस्वरुप हुई अवरोह्रात्मक प्रवृत्ति महसूस की गई।

केंद्र : व्ययों में प्रवृत्तियां

3.13 केंद्र सरकार का कुल व्यय जिसमें राजस्व और पूंजी व्यय शामिल होता है, नब्बे के दशक के पूर्वार्द्ध में सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में कुछ गिरावट दर्ज करने के पश्चात 1997-98 में बढ़ना आरम्भ हो गया था। सकल घरेलू उत्पाद के समानुपात के रूप में यह 1990-91 में 18.5 प्रतिशत से 1996-97 में 14.7 प्रतिशत पर रह गया था उसके पश्चात बढ़कर 2002-03 में 16.8 प्रतिशत पर पहुंच गया था। विगत में व्यय की गुणवत्ता में भी विकृति की स्थिति पायी गयी थी क्योंकि पूंजी व्यय का हिस्सा 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.6 प्रतिशत से गिरकर 2002-03 में 3.0 प्रतिशत रह गया था। 2003-04 के लिए संशोधित अनुमानों में कुल व्यय के सकल घरेलू उत्पाद के 17.1 प्रतिशत तक और पूंजी व्यय के 4.02 प्रतिशत तक बढ़ने की आशा थी। यदि ऋण-विनिमय प्राप्तियों से एनएसएसएफ को केंद्र से ऋणों का पूर्वभुगतान निकाल दिया जाए तो कुल व्यय 15.4 प्रतिशत और पूंजी व्यय 2.3 प्रतिशत ही रहेगा। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय 1990-91 में 12.9 प्रतिशत से कम होकर 1996-97 में 11.6 प्रतिशत रह गया था और उसके बाद बढ़कर 2002-03 में 13.8 प्रतिशत हो गया।

3.14 ब्याज अदायगियां, सब्सिडियां, पेंशन और रक्षा राजस्व व्यय कुल राजस्व व्यय का 60 से 65 प्रतिशत के बीच बैठता है। ब्याज अदायगियां राजस्व व्यय का एकमात्र सबसे प्रमुख संघटक हैं जिसका हिस्सा राजस्व व्यय का लगभग 35 प्रतिशत बैठता है। केंद्र की राजस्व प्राप्तियों के समानुपातिक 2002-03 में ये केंद्र की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 51 प्रतिशत हिस्सा बैठती थीं। उसके पश्चात यह अनुपात 2004-05 ब.अ. में कम होकर लगभग 45 प्रतिशत रह गया था। विगत वर्षों में निम्नस्तरीय सांकेतिक ब्याज दरों के कारण बाजार उधारों की औसत लागत में वर्ष 2000-01 के बाद से गिरावट की प्रवृत्ति दिखायी दी थी। केंद्र के कुल ब्याज भार पर इसका प्रभाव बकाया ऋण के बढ़ने के कारण स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं हुआ है। तथापि, 2003-04 में ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में ऋण चुकाए जाने की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत राज्यों द्वारा पुनःअदायगियों पर आधारित पूर्व भुगतानों के परिणामस्वरुप गिरावट दिखायी दी।

3.15 सारणी 3.3 में केंद्र के कुछ अन्य प्रमुख व्ययों के ब्यौरे भी दिए गए हैं। वर्ष 1990-93 की तीन वर्ष की अवधि के औसत और 2000-03 की अवधि के औसत की तुलना पर विचार करने पर सारणी 3.3 से पता चलता है कि ब्याज अदायगियों में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 0.6 प्रतिशतांक बिन्दुओं की वृद्धि हुई है और पेंशन में लगभग 0.2 प्रतिशतांक बिदुओं की। दूसरी ओर, पूंजी व्यय सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशतांक बिंदुओं से भी कम गिरा है। यद्यपि, सब्सिडियों में गिरावट दिखायी दी है, फिर भी इनमें और कटौतियां किए जाने की आवश्यकता है। सारणी 3.4 में केंद्र की समाप्त की गयी सब्सिडियों के और ब्यौरे दिए गए हैं।

3.16 केंद्र द्वारा मुहैया करायी गई मुख्य सब्सिडियां खाद्य और उर्वरक सब्सिडियां हैं। अभी हाल ही में, अपनी आयोजना के एक भाग के रूप में केंद्रीय सरकार प्रशासित मूल्य व्यवस्था को समाप्त करने पर भी सहमत हुई है और केरोसीन तथा रसोई गैस पर भी सब्सिडी को चरण बद्ध प्रक्रिया में समाप्त करने से पूर्व एक सीमित अवधि के लिए सब्सिडी बनाए रखी है। अनेक अध्ययनों से पता चला है कि इन सब्सिडियों में से अधिकांश का लक्ष्य सही नहीं था और अकार्यकुशलता को बढ़ा रही थी। हाल के वर्षों में, जैसा कि सारणी 3.4 में दिखाया गया है, खाद्य सब्सिडियों में तेजी से वृद्धि हुई है, जो 1996-97 में केंद्र की राजस्व प्राप्तियों के 4.8 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर 2002-03 में 10.4 प्रतिशत तक पहुंच गयी थीं। अन्य कारकों के साथ-साथ खाद्य सब्सिडियों की मात्रा खाद्यान्नों की वसूली और उनकी ढुलाई लागतों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्गम मूल्यों के बीच अन्तर पर निर्भर करती है। जबकि अधिप्राप्ति मूल्यों में किसानों को होने वाली आय पर सब्सिडी शामिल होती है तो ढुलाई लागतें पिछले स्टाकों के स्तर के साथ-साथ प्रचालनात्मक अकार्यकुशलताओं तथा उससे होने वाली बर्बादियों के स्तर पर निर्भर करती है। खाद्यान्नों की ढुलाई लागतों में वर्ष 1997-98 से भारी मात्रा में वृद्धि हुई है जो आंशिक तौर पर उच्च ब्याज लागतों के कारण और काफी हद तक भारतीय खाद्य निगम के कार्य प्रचालनों में ऊंचे वेतनों तथा मजदूरियों के कारण हुई। खाद्य सब्सिडियां भी भारतीय खाद्य निगम के अधिप्राप्ति स्थलों पर निर्भर करते हुए राज्यों को संसाधनों के अन्तरण का एक अप्रत्यक्ष साधन बन गई है। स्पष्ट रूप से इस प्रणाली के माध्यम से सरकार एक ही साधन से अनेक लक्ष्यों को साधने का प्रयास कर रही है अन्य सब्सिडी सुधारों के साथ दो परिवर्तन भी सहायक होंगे। पहला, केंद्र सरकार को किसानों की आय से संबंधित सहायता के लिए अलग से एक साधन विकसित करना चाहिए और केवल गेहूं तथा चावल के उत्पादकों पर प्रथम दृष्टया इसे केंद्रित न करते हुए फसलों की कवरेज के अनुसार इस सब्सिडी के आधार को व्यापक बनाना चाहिए। दूसरा, अधिप्राप्ति की नीतियों को और अधिक विकेंद्रित करना चाहिए जिसमें अधिप्राप्ति के एक भाग का संचालन राज्य सरकारों द्वारा किया जाना चाहिए। इससे प्रचालन तथा संचालन लागतों को कम करने में सहायता मिलेगी और राज्यों के बीच अप्रत्यक्ष अन्तरणों का संवितरण भी अधिक समान रूप से हो सकेगा।

सारणी 3.3
केंद्रीय सरकार के व्ययों में प्रवृत्तियां

(सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)

वर्ष	राजस्व व्यय	ब्याज भुगतान	पेंशन	सब्सिडियां	पूंजी व्यय	कुल व्यय
1990-91	12.93	3.78	0.38	2.14	5.59	18.52
1991-92	12.60	4.07	0.37	1.88	4.46	17.06
1992-93	13.76	4.61	0.45	1.78	4.44	18.20
1993-94	12.59	4.28	0.39	1.35	3.92	16.51
1994-95	12.06	4.35	0.36	1.17	3.81	15.87
1995-96	11.77	4.21	0.36	1.07	3.23	15.01
1996-97	11.62	4.35	0.37	1.13	3.08	14.69
1997-98	11.84	4.31	0.45	1.22	3.40	15.24
1998-99	12.43	4.47	0.58	1.36	3.61	16.04
1999-00	12.86	4.66	0.74	1.26	2.53	15.39
2000-01	13.30	4.75	0.69	1.28	2.29	15.58
2001-02	13.21	4.71	0.63	1.37	2.67	15.88
2002-03	13.75	4.77	0.59	1.76	3.02	16.77
2003-04 (सं.अ.)	13.09	4.49	0.55	1.61	4.02	17.11
औसत (1990-93) (क)	**13.09**	**4.15**	**0.40**	**1.93**	**4.83**	**17.92**
औसत (2000-03) (ख)	**13.42**	**4.74**	**0.64**	**1.47**	**2.66**	**16.08**
ख-क	**0.32**	**0.59**	**0.24**	**-0.46**	**-2.17**	**-1.85**

स्रोत (मूल आंकड़े): केंद्रीय बजट दस्तावेज

3.17 केंद्र की सकल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष में उर्वरकों पर सब्सिडियों में कमी आई है लेकिन इनमें और अधिक कमी करना बेहतर होगा। विगत वर्षों में उर्वरक सब्सिडियों में कुछ सुधार हुए हैं। उर्वरकों पर सब्सिडियों में वृद्धि किसानों द्वारा उर्वरकों की खरीद के लिए प्रशासित मूल्यों के कारण और स्वदेशी यूरिया उर्वरकों के मामले में धारित मूल्य स्कीम के कारण हुई जिसने निवल मूल्य पर गारन्टीशुदा प्रतिलाभ की घोषणा की थी। सब्सिडियों की मात्रा उपभोक्ता मूल्य तथा धारिता मूल्य के बीच अन्तर और उत्पादन के स्तर पर निर्भर करती है। आयातित यूरिया उर्वरकों तथा किसानों को रियायतों सहित विनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री के लिए भी सब्सिडियां उपलब्ध हैं। उर्वरक सब्सिडियां निविष्टि आधारित होती हैं और सब्सिडी के लाभ उन किसानों को और अधिक मिलते हैं जो उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं और जिनके पास जल सहित उत्पादन के अन्य पूरक कारकों के लिए अधिक मात्रा में संसाधन उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार, सब्सिडी के परिमाणों को नियंत्रित तथा लक्षित करना कठिन है। दूसरे, इनका जहां तक घरेलू उत्पादन से संबंध है, यह उत्पाद की अकार्य-कुशलताओं में भी सहायक होते हैं। एक ऐसे वैकल्पिक साधन को विकसित करने की नितान्त आवश्यकता है जिससे सब्सिडी की मात्रा कम बनी रहे और इसके लाभों का लक्ष्य बेहतर बना रहे। जहां तक संभव हो सके वर्तमान प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की आवश्यकता है।

सारणी 3.4
केंद्र की राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष दी गयी प्रत्यक्ष सब्सिडियां

(प्रतिशत)

वर्ष	खाद्य	उर्वरक	अन्य	जोड़
1990-91	4.45	7.98	9.67	22.11
1991-92	4.32	7.85	6.39	18.56
1992-93	3.78	7.82	3.01	14.60
1993-94	7.31	6.02	1.99	15.31
1994-95	5.58	6.32	1.08	12.98
1995-96	4.88	6.12	0.50	11.50
1996-97	4.80	6.00	1.47	12.27
1997-98	5.90	7.41	0.54	13.85
1998-99	6.09	7.76	1.94	15.78
1999-00	5.20	7.30	1.00	13.49
2000-01	6.26	7.16	0.51	13.93
2001-02	8.69	6.26	0.55	15.50
2002-03	10.43	4.75	3.59	18.78
2003-04(सं.अ.)	9.58	4.48	2.93	17.00

स्रोत (मूल आंकड़े) केंद्र के बजट दस्तावेज

केंद्र : कुछ नए उपक्रम

3.18 केंद्र सरकार द्वारा हाल के वर्षों में किए गए अन्य उपक्रमों में तीन उपक्रम अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। ये उपक्रम नब्बे के दशक के अन्त में महसूस की गई राजकोषीय विकृति को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पहला, केंद्रीय सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (एफआरबीएमए) अधिनियमित किया है। इस अधिनियम में केंद्र सरकार से अपेक्षा की गयी है कि वह राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे को कम करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए ताकि राजस्व घाटे को 2007-08 तक समाप्त किया जा सके और उसके बाद पर्याप्त मात्रा में राजस्व अधिशेष का निर्माण हो सके। इसके लिए निर्धारित तारीख को वित्त अधिनियम, 2004 के माध्यम से संशोधित करके 31 मार्च, 2009 किया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत 31 मार्च, 2009 तक राजकोषीय घाटे को कम करके सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक लाना जरुरी है। एफआरबीएमए के अधिनियमन में एक संस्थागत ढांचे की व्यवस्था की गयी है तथा सरकार को विवेकपूर्ण राजकोषीय नीतियां अपनाने पर बाध्य किया गया है। इसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि अधिनियम और नियमों में विभिन्न राजकोषीय पैरामीटरों के लिए निर्धारित लक्ष्यों में कोई ढील न दी जाए। यह राज्यों के लिए भी एक उदाहरण होगा। दूसरे, केंद्र सरकार ने सरकारी सेवा में आने वाले नए कर्मचारियों के लिए एक नयी पेंशन स्कीम को लागू करके पेंशन सुधारों का प्रयास किया है। हालांकि यह स्कीम आरम्भ में हो सकता है पेंशन के व्यय को बढ़ाए क्योंकि केंद्र सरकार को पेंशन कोष में अंशदान करना पड़ेगा, लेकिन अन्त में यह स्कीम लाभदायक सिद्ध होगी। तीसरे, केंद्र सरकार ने एक ऋण समापन स्कीम तैयार की है जिससे राज्य सरकारों के साथ-साथ कुछ सीमा तक केंद्रीय सरकार भी लाभान्वित होगी। राज्य सरकारें अपने उच्च लागत वाले ऋणों को कम लागत वाले बाजार उधारों के माध्यम से केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने में समर्थ हुई हैं। इन अतिरिक्त वसूलियों से केंद्र सरकार अन्यों के साथ-साथ एनएसएसएफ को भी अपने कुछ उच्च लागत वाले ऋणों को चुकाने में सक्षम रही है।

3.19. केन्द्र के वित्त-साधनों में चल रही प्रवृत्तियों की मुख्य विशेषताएं संक्षेप में नीचे दी गई हैं:

1. केन्द्र का राजकोषीय घाटा नब्बे के दशक के मध्य में कुछ गिरने के बाद, वर्ष 2001-02 में 6.2 प्रतिशत था जो वर्ष 1990-91 के इसके स्तर से मामूली सा कम था। 2003-04 के संशोधित अनुमान और 2004-05 के बजट अनुमान में सकल घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में राजकोषीय घाटे में गिरावट देखी गई है।
2. सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व घाटे में भी इसी प्रकार का समय-चित्र दिखाई देता है। 4.4 प्रतिशत की ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद, यह 2004-05 के संशोधित अनुमान में सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाएगा। राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात 2003-04 के सं.अ. तक जब यह 75.6 प्रतिशत हो गया क्रमिक रूप से कम हो रहा था।
3. हालांकि केन्द्र का सकल कर राजस्व 1991-92 में सकल घरेलू उत्पाद के 10.3 प्रतिशत के स्तर से गिरकर 2001-02 में 8.2 प्रतिशत हो गया, जो 2.1 प्रतिशतांक की गिरावट का द्योतक है, फिर भी अब इसमें सुधार शुरू हो गया है।
4. केन्द्रीय कर-राजस्व के संघटन का झुकाव क्रमिक रूप से निगम कर और आय-कर की ओर होता जा रहा है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अभी भी कर-राजस्व का अकेला सबसे बड़ा स्रोत है जो केन्द्र के सकल कर-राजस्व के लगभग 36 प्रतिशत हिस्से का निर्माण करता है।
5. व्यय पक्ष की ओर, समीक्षाधीन अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में ब्याज-अदायगियों और पेंशनों में वृद्धि हुई और समायोजन का बोझ मुख्यतया पूंजीगत व्यय पर पड़ा जिसमें वर्ष 1990-93 के औसत स्तर की तुलना में वर्ष 2000-03 के दौरान लगभग 2.2 प्रतिशतांक की गिरावट हुई।

केन्द्रीय सरकार ने एफआरबीएमए को अधिनियमित करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह जरूरी है कि अधिनियम और नियमों से संबंधित राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को संशोधित न किया जाए और केन्द्र राज्यों के लिए एक मिसाल कायम करे।

राज्य के समग्र वित्त साधनों में प्रवृत्तियां

3.20 राज्य के वित्त साधनों में वर्ष 1986-87 तक उनके समग्र लेखों में कभी-कभार ही मामूली राजस्व घाटे दिखाई दे जाते थे। 1987-88 से समग्र स्तर पर राज्य के वित्त-साधन हमेशा ही राजस्व घाटा उठाते रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में इस घाटे की मात्रा अब कई वर्षों से बढ़ती भी रही है जब एक के बाद दूसरा राज्य चाहे वह समृद्ध हो या निर्धन, छोटा या बड़ा, विशेष श्रेणी या सामान्य श्रेणी का राज्य हो, अधिकाधिक राजस्व घाटे के गर्त में फिसलते रहे। विशेष श्रेणी के केवल कुछ राज्यों ने राजस्व लेखे पर अधिशेष दिखाया, लेकिन ऐसा योजनागत सहायता के संघटन के परिणामस्वरूप हुआ जो नब्बे प्रतिशत अनुदानों के रूप में थी और जिसने राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की। हालांकि यह सहायता पूंजीगत व्यय के प्रयोजनार्थ थी और किसी प्रकार की राजकोषीय स्थिति को इंगित नहीं करती थी।

3.21 जैसाकि पहले उल्लेख किया जा चुका है, 1997-98 से 2002-03 तक के छह वर्ष राज्य के वित्त साधनों के इतिहास में सबसे खराब रहे हैं। इस अवधि के पूर्वार्ध में, राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन-बिल में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई जब, जैसाकि इस रिपोर्ट में अन्यत्र भी बताया गया है, तीन वर्ष की अवधि में प्रति कर्मचारी औसत वेतन में लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि हो गई। यह वह समय भी था जब सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में केन्द्रीय अन्तरणों में गिरावट हुई और राज्य अधिकाधिक कर छूट देने की स्पर्धा में लगे थे जिससे सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में उनके अपने कर-राजस्व का स्तर कम हो रहा था।

3.22 अपने व्यय को कम करने में अक्षम होने पर एक ऐसे समय में, जब सांकेतिक ब्याज दरें चरम सीमा पर थीं, राज्य अपने राजस्व व्यय को वित्तपोषित करने के लिए उधारों पर अधिकाधिक निर्भर होने लगे। जब राज्यों के वित्त-साधन अनेकानेक दबावों में पिस रहे थे, तब अर्थव्यवस्था, जैसाकि पूर्ववर्ती अध्याय में कहा गया है, में मन्दी आ गई जिससे नए दशक के पहले तीन वर्षों में कुछ सबसे कम वास्तविक और सांकेतिक वृद्धि दरें देखी गई। छह वर्ष की छोटी सी अवधि में महसूस किए गए इन परिवर्तनों का प्रभाव तत्काल और कमजोर करने वाला था। राज्यों के राजकोषीय इतिहास के किसी

भी छह-वर्षीय खण्ड में ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में 10 प्रतिशतांक से अधिक की वृद्धि नहीं हुई जैसीकि इस अवधि में हुई जब सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में बकाया ऋण का अनुपात 1996-97 के 21 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर 2002-03 में 31 प्रतिशत हो गया। नीचे हमने 1993-03 की अवधि पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, राज्यों में समग्र और तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में राज्य के वित्त साधनों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है।

सभी राज्यः राजकोषीय असन्तुलन की रूपरेखा

3.23 हम राजकोषीय असन्तुलन के तीन संकेतकों को देखते हैं: राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। सारणी 3.5 दर्शाती है कि राज्यों को एक-साथ लेने पर, 2000-03 और 1993-96 की औसतों की तुलना करने पर, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा 1.9 प्रतिशतांक अधिक था और राजकोषीय घाटा 1.5 प्रतिशतांक अधिक था। सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में प्राथमिक घाटा 1999-00 में चरम स्तर तक जा पहुंचा लेकिन अब इसमें गिरावट देखी गई है। वस्तुतः 1999-00 में राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा दोनों सकल घरेलू उत्पाद के क्रमशः 4.64 और 2.82 प्रतिशत की चरम सीमा पर पहुंच गए थे। जैसाकि पहले कहा गया है, सकल घरेलू उत्पाद के प्रति बकाया ऋण 1996-97 के 21 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर 2002-03 में 31 प्रतिशत हो गया। 1990-93 की औसत की तुलना 2000-03 की औसत से करने पर यह वृद्धि 9.4 प्रतिशतांक दिखाई देती है।

सारणी 3.5

राज्य के समग्र वित्त-साधनः वैकल्पिक घाटा संकेतक

(स.घ.उ. का प्रतिशत)

वर्ष	राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	प्राथमिक घाटा	राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	ऋण/स.घ.उ.
1993-94	0.45	2.35	0.52	19.05	21.79
1994-95	0.69	2.72	0.79	25.55	21.40
1995-96	0.73	2.59	0.76	28.06	21.00
1996-97	1.31	2.77	0.90	47.37	21.00
1997-98	1.23	2.94	0.93	42.01	21.73
1998-99	2.61	4.31	2.24	60.48	23.02
1999-00	2.82	4.64	2.34	60.87	25.20
2000-01	2.61	4.16	1.69	62.60	27.42
2001-02	2.68	4.09	1.41	65.49	29.37
2002-03	2.29	3.94	1.14	58.09	31.15
औसत					
1993-96[क]	0.62	2.55	0.69	24.22	21.79
2000-03[ख]	2.53	4.07	1.41	62.06	31.15
[ख]-[क]	1.90	1.51	0.72	37.84	9.36

स्रोत (मूल आंकड़े): राज्य वित्त लेखा-विवरण

3.24. सभी राज्यों के लिए सकल घरेलू उत्पाद के प्रति उनके अपने कर-राजस्व का अनुपात 5.3 प्रतिशत से गिरकर 1998-99 में 4.9 प्रतिशत हो गया और यह 1999-00 में 5.1 प्रतिशत के स्तर पर था। 2000-01 में इसमें पर्याप्त सुधार हुआ क्योंकि अधिकतर राज्यों ने बिक्री कर में न्यूनतम नियत दरों को कार्यान्वित करने और विभिन्न छूटों को कम करने तथा उनका यौक्तिकीकरण करने पर सहमति जताई। 2002-03 में, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्यों के अपने कर-राजस्व बेहतर होकर 5.5 प्रतिशत हो गए। 2000-03 की औसत की 1993-96 की औसत से तुलना करने पर 0.17 प्रतिशतांक का सुधार दिखाई देता है। अपने कर-भिन्न राजस्व के मामले में, अधोमुखी प्रवृत्ति दिखाई देती है। ये 1993-94 में सकल घरेलू उत्पाद के 1.6 प्रतिशत से गिरकर 2001-02 में 1.2 प्रतिशत हो गए। 2000-03 की औसत की 1993-96 की औसत से तुलना करने पर, राज्यों के अपने कर-भिन्न राजस्वों में 0.3 प्रतिशतांक की गिरावट दिखाई देती है।

3.25. समीक्षाधीन अवधि में, सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में वित्त आयोग के अन्तरण 1998-99 और 1999-2000 में क्रमशः 2.4 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत के स्तर पर निम्नतम थे। वित्त आयोग के अन्तरणों से इतर अन्तरणों के मामले में, यह गिरावट कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। 1993-94 में, वित्त आयोग के अन्तरणों से इतर अन्तरण सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2 प्रतिशत हिस्सा थे। ये 1998-99 से बाद की अवधि में गिरकर 1.3 प्रतिशत से कम हो गए। 2000-03 की औसत की 1993-96 की औसत से तुलना करने पर, केन्द्र से वित्त आयोग और वित्त आयोग से इतर अन्तरणों में लगभग

0.44 प्रतिशतांक की गिरावट दिखाई देती है। इन राजस्व प्रवाहों को समग्र रूप में लेने पर, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्यों की कुल राजस्व प्राप्तियां 1998-99 में 9.8 प्रतिशत के स्तर पर निम्नतम थीं। 1993-96 और 2000-03 की दोनों अवधियों की औसत की तुलना करने पर राज्यों की कुल राजस्व प्राप्तियों में 0.6 प्रतिशतांक से कुछ कम की गिरावट दिखाई देती है।

सारणी 3.6
राज्यों के समग्र वित्त-साधनः मुख्य राजकोषीय संकेतक

(सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)

वर्ष	अपने कर-राजस्व	अपने कर-भिन्न राजस्व	वित्त आयोग के अन्तरण	वित्त आयोग से इतर अन्तरण प्राप्तियां	कुल राजस्व
1993-94	5.30	1.59	3.05	2.02	11.96
1994-95	5.31	1.55	2.86	1.55	11.27
1995-96	5.20	1.51	2.90	1.30	10.91
1996-97	5.01	1.47	2.94	1.29	10.71
1997-98	5.14	1.43	2.90	1.33	10.80
1998-99	4.93	1.26	2.44	1.17	9.81
1999-00	5.09	1.38	2.50	1.29	10.26
2000-01	5.46	1.37	3.02	1.20	11.04
2001-02	5.32	1.19	2.84	1.28	10.63
2002-03	5.52	1.23	2.80	1.22	10.77
औसत					
1993-96[क]	5.27	1.55	2.94	1.62	11.38
2000-03[ख]	5.44	1.26	2.88	1.23	10.81
[ख]-[क]	0.17	-0.29	-0.05	-0.39	-0.57

स्रोत (मूल आंकड़े): राज्य वित्त लेखा-विवरण

राज्य के समग्र वित्त-साधनः व्यय की प्रवृत्तियां

3.26 सारणी 3.6 में सभी राज्यों के राजस्व व्ययों की मुख्य प्रवृत्तियां दिखाई गई हैं जिनमें ब्याज अदायगियों और पेंशनों के साथ-साथ आयोजना एवं आयोजना-भिन्न राजस्व व्ययों के समग्र जोड़ पर ध्यान दिया गया है। राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों के विपरीत, व्यय की लगभग सभी श्रेणियों में समीक्षाधीन अवधि में स्पष्ट वृद्धि दिखाई देती है। ये वृद्धियां विशेष रूप से ब्याज अदायगियों और पेंशनों के मामले में अधिक स्पष्ट हैं। जहां तक ब्याज अदायगियों का संबंध है, ये 1993-94 के लगभग 1.8 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर 2002-03 में 2.8 प्रतिशत हो गई जो 10 वर्ष की अवधि में 1 प्रतिशतांक की वृद्धि दर्शाता है। पेंशनों के मामले में भी बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 1993-94 में सकल घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में पेंशनें 0.6 प्रतिशत हिस्से का निर्माण करती थीं। ये बढ़कर 2002-03 में 1.24 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई, जो 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाती है। व्यय के ये दोनों शीर्ष अन्तरण अदायगियों से द्योतक हैं। इस रूप में ये वृद्धि होने पर, अपेक्षित समायोजनों के कारण योजनागत राजस्व व्यय में गिरावट हुई जो 1993-94 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.2 प्रतिशत के स्तर पर थी। 2002-03 तक यह गिरकर 1.8 प्रतिशत के स्तर तक आ गई थी।

3.27. ब्याज अदायगियों और पेंशनों के कारण ही कुल राजस्व व्यय 1993-94 के 12.4 प्रतिशत से बढ़कर 2002-03 में 13 प्रतिशत हो गया। 1993-96 और 2000-03 की अवधि की औसत की तुलना करने पर सकल घरेलू उत्पाद के 1.34 प्रतिशतांक की वृद्धि दिखाई देती है। समग्र तौर पर, सभी राज्यों का कुल राजस्व व्यय 1995-96 में सकल घरेलू उत्पाद के 11.6 प्रतिशत के स्तर पर अपने निम्नतम स्तर पर था। इसके बाद, यह निरन्तर बढ़ता हुआ 2000-01 में 13.7 प्रतिशत के स्तर तक जा पहुंचा, जिसके बाद यह कम होकर 2002-03 में 13.1 प्रतिशत हो गया। 1998-2001 के दौरान हुई वृद्धि, वेतनों और पेंशनों में बड़ी वृद्धियों जो पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का पालन करने के परिणामस्वरूप हुई, के कारण हुई थी। समग्र राजस्व व्यय की परिधि के भीतर, योजना-भिन्न घटक 1995-96 के 9.6 प्रतिशत से निरन्तर बढ़ता हुआ 2000-01 में 11.7 प्रतिशत हो गया, जिसके बाद यह कम होना शुरू हो गया है।

सारणी 3.7
राज्यों के समग्र वित्त-साधनः व्यय संकेतक

(सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)

वर्ष	कुल राजस्व व्यय	ब्याज अदायगियां	पेंशन	आयोजनागत राजस्व व्यय	आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय
1993-94	12.41	1.82	0.61	2.22	10.19
1994-95	11.96	1.92	0.63	2.06	9.91
1995-96	11.63	1.83	0.66	2.01	9.63
1996-97	12.02	1.87	0.72	2.10	9.93
1997-98	12.03	2.01	0.77	1.93	10.10
1998-99	12.41	2.07	0.93	1.99	10.43
1999-00	13.08	2.30	1.16	1.87	11.21
2000-01	13.65	2.48	1.24	1.91	11.74
2001-02	13.31	2.68	1.26	1.85	11.46
2002-03	13.06	2.80	1.24	1.81	11.24
औसत					
1993-96[क]	12.00	1.86	0.63	2.09	9.91
2000-03[ख]	13.34	2.65	1.25	1.86	11.48
[ख]-[क]	1.34	0.79	0.62	-0.24	1.57

स्रोत (मूल आंकड़े): राज्य वित्त लेखा-विवरण

3.28. जिन कारकों ने राज्य के वित्त-साधनों को कमजोर करने में भूमिका निभाई है, उनमें आर्थिक राज सहायता (सब्सिडी) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। राज्यों द्वारा दी जाने वाली आर्थिक राज सहायता का बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष आर्थिक राज-सहायता तब उपजती हैं जब सेवाओं को ऐसी कीमतों पर मुहैया कराया जाता है जो लागत को वसूल नहीं करतीं। निम्न प्रयोक्ता प्रभार सामान्य सी बात रहे हैं। विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र को दी जा रही बजटीय सहायता राज्यों में, जहां इस प्रयोजनार्थ प्रत्यक्ष आर्थिक राजसहायता का प्रावधान बजटों में किया जाता है, यह धन के निर्गम का महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन, अनेक राज्य आर्थिक राज-सहायता प्रदान नहीं करते, भले ही बिजली बोर्ड घाटा उठा रहे हों। दसवीं योजना दस्तावेज के अनुसार राज्य सरकारों से विद्युत क्षेत्र द्वारा प्राप्त की गई आर्थिक सहायता के, 2003-04 में वाणिज्यिक हानियों के 32.8 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। इन घाटों को कम करने के लक्ष्यों से विद्युत क्षेत्र में किए गए सुधार राज्य के वित्त साधनों को सुधारने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम होंगे।

3.29. 2000-03 की 1993-96 की औसत से तुलना करने पर राज्य के समग्र वित्त साधनों से संबंधित मुख्य प्रवृत्तियों को निम्नानुसार सारबद्ध किया जा सकता है:

1. राज्यों का राजस्व घाटा 1993-96 के सकल घरेलू उत्पाद के 0.62 प्रतिशत से बढ़कर 2000-03 में 2.53 प्रतिशत हो गया जो 1.9 प्रतिशतांक की वृद्धि का द्योतक है।
2. राज्यों का राजकोषीय घाटा 1993-96 के दौरान 2.55 प्रतिशत से बढ़कर औसतन सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4 प्रतिशत हो गया जो लगभग 1.5 प्रतिशतांक की वृद्धि का द्योतक है।
3. 1996-97 से 2002-03 तक की अवधि में राज्यों के ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में स.घ.उ. के 10 प्रतिशतांक की जबर्दस्त वृद्धि हुई, जो 1996-97 के सकल घरेलू उत्पाद के 21 प्रतिशत से बढ़कर 2002-03 में 31.2 प्रतिशत हो गया।
4. राज्यों के अपने कर राजस्व 1993-96 के दौरान औसतन स.घ.उ. के 5.3 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर 2000-03 के दौरान 5.5 प्रतिशत हो गए। लेकिन इसी अवधि में अपने कर-भिन्न राजस्व में तथा स.घ.उ. की तुलना में केन्द्रीय अन्तरण में भी गिरावट हुई। अन्तरणों में हुई यह गिरावट मुख्यतया वित्त आयोग से इतर अन्तरणों के कारण हुई थी।
5. व्यय पक्ष में ब्याज अदायगियों और पेंशनों में वृद्धि हुई। ब्याज अदायगियों के मामले में, यह वृद्धि 0.79 प्रतिशतांक थी जो 1993-96 के 1.86 से बढ़कर 2000-03 के दौरान 2.65 हो गई। वस्तुतः यदि केवल अंतिम वर्ष 1993-94 और 2002-03 की तुलना की जाए तो यह वृद्धि स्पष्टतया स.घ.उ. का एक प्रतिशतांक है। समीक्षाधीन दोनों अवधियों की तुलना करने पर पेंशनों में 0.62 प्रतिशतांक की वृद्धि दिखाई देती है।

राज्य के वित्त साधनः एक तुलनात्मक दृष्टिकोण

3.30 इस खण्ड में हम अलग-अलग राज्यों के सापेक्ष कार्य निष्पादन को तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे। इस प्रयोजन के लिए हमने निम्नलिखित परिवर्तनीय कारकों पर ध्यान केन्द्रित किया हैः अपने कर-राजस्व, राजस्व और पूंजी व्यय, ब्याज-अदायगियां और पेंशनें, राजस्व तथा राजकोषीय घाटे और बकाया देयताएं। 1993-96 और 2000-03 को दो तीन-वर्षीय अवधियों की औसतों की तुलनाएं की गई हैं। सभी परिवर्तनीय कारकों को राज्यों के संबंधित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लिया गया है। ग्यारह विशेष श्रेणी के राज्यों (एससीएस) को छोड़कर अन्य राज्यों को सामान्य श्रेणी के राज्य (जीसीएस) कहा गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार को संपूर्ण अवधि में तुलना के प्रयोजन से अविभाजित राज्यों के रूप में ही माना गया है।

राज्यकोषीय असन्तुलन की रूपरेखाः अन्तर्राज्यीय तुलना

3.31 जैसाकि पहले कहा जा चुका है, राज्यों का समग्र राजस्व लेखा 1987-88 में घाटे में चला गया। नब्बे के दशक के दौरान, कुछ राज्य अभी भी राजस्व अधिशेष की स्थिति में थे। सामान्य श्रेणी के राज्यों में, आंध्र प्रदेश 1994-95 में राजस्व घाटे की स्थिति में चला गया, गुजरात और हरियाणा 1995-96 में और गोआ भी जो आय के पैमाने पर शीर्ष पर था, 1997-98 में राजस्व घाटे की स्थिति में चला गया। जैसाकि सारणी 3.8 में दिखाया गया है, 1993-96 के दौरान औसतन सर्वाधिक राजस्व घाटा उड़ीसा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.0 प्रतिशत के स्तर पर था जिसके बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश और पष्चिम बंगाल का स्थान था। इन राज्यों के घाटों में निरन्तर वृद्धि होती रही। 2000-03 की अवधि में, सामान्य श्रेणी का कोई राज्य राजस्व अधिशेष की स्थिति में नहीं था। उनके राजस्व घाटों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक थी और उनकी सापेक्ष स्थिति भी बदल गई थी। अब सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में अधिकतम राजस्व घाटा 5.5 प्रतिशत के स्तर पर पश्चिम बंगाल का था जिसके बाद पंजाब, उड़ीसा और राजस्थान की स्थान था। विशेष श्रेणी के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम अधिशेष की स्थिति में बने रहे। 1993-96 की औसत से 2000-03 की औसत की तुलना करने पर सामान्य श्रेणी के राज्यों के मामले में हुई गिरावट सामान्य श्रेणी के राज्यों के "सभी राज्य" के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.33 प्रतिशतांक थी।

3.32 1993-94 और 2000-03 की अवधियों की औसत के बीच का अन्तर दर्शाता है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के प्रति राजस्व घाटे में सर्वाधिक गिरावट पश्चिम बंगाल में हुई जिसके बाद उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब का स्थान था। इस प्रकार राजस्व घाटा पंजाब जैसे उच्च आय वाले राज्यों, पश्चिम बंगाल जैसे मध्य आय वाले राज्यों और उड़ीसा जैसे निम्न आय वाले राज्यों के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में अधिक हो गया। वस्तुतः इस अवधि में जिन राज्यों ने कोई स्पष्ट गिरावट नहीं दिखाई वे थे बिहार जहां राजस्व घाटे में सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के केवल 0.04 प्रतिशतांक की वृद्धि हुई और हरियाणा जहां 0.56 प्रतिशतांक की वृद्धि हुई।

3.33 सारणी 3.8 में दिखाया गया है कि सामान्य श्रेणी के राज्यों में राजकोषीय घाटा 1993-96 के दौरान उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पष्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के मामले में अधिकतम था। 2000-03 के दौरान सामान्य श्रेणी के राज्यों में उड़ीसा सर्वाधिक राजकोषीय घाटे वाला राज्य बन गया था जिसके बाद पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश का स्थान था। इन दोनों अवधियों में औसत गिरावट सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में हुई जिसके बाद गुजरात और उड़ीसा का स्थान है।

ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपातः राज्यों की तुलनात्मक स्थिति

3.34 जैसाकि सारणी 3.9 में दिखाया गया है, सभी राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में, बकाया देयताओं में लगभग 12 प्रतिशतांक तक की वृद्धि हो गई जब 1993-96 की 24.86 प्रतिशत की औसत से बढ़कर यह 2000-03 में 36.7 प्रतिशत की औसत पर आ गई। सामान्य श्रेणी के राज्यों में 2000-03 के दौरान उड़ीसा का 63.7 प्रतिशत के स्तर पर अधिकतम ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात था, जिसके बाद 47 प्रतिशत पर उत्तर प्रदेश, 46.7 प्रतिशत पर पंजाब, 44.9 प्रतिशत पर राजस्थान और 42.7 प्रतिशत पर पश्चिम बंगाल का स्थान था। समीक्षाधीन अवधि में अधिकतम गिरावट 27.5 प्रतिशतांक पर उड़ीसा की थी जिसके बाद 19.5 प्रतिशतांक पर पश्चिम बंगाल, 16.9 प्रतिशतांक पर गुजरात और 16.6 प्रतिशतांक पर राजस्थान का स्थान था।

सारणी 3.8

राज्यों का तुलनात्मक कार्य-निष्पादनः राजस्व और राजकोषीय घाटे

(सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)

	राजस्व लेखा [घाटा (-)]			राजकोषीय लेखा [घाटा (-)]		
राज्य	**1993-96[क]**	**2000-03[ख]**	**[ख-क]**	**1993-96[ग]**	**2000-03[घ]**	**[घ-क]**
अरुणाचल प्रदेश	24.28	1.76	-22.51	1.48	-12.70	-14.18
असम	-0.01	-1.90	-1.88	-2.38	-3.73	-1.34
हिमाचल प्रदेश	-1.56	-7.28	-5.72	-6.70	-11.41	-4.71
जम्मू और कश्मीर	4.56	-1.82	-6.38	-3.85	-8.28	-4.44
मणिपुर	6.07	-2.46	-8.53	-3.02	-6.06	-3.04
मेघालय	3.32	0.84	-2.48	-3.20	-5.28	-2.08
मिज़ोरम	7.53	-9.07	-16.60	-5.82	-17.79	-11.96
नागालैण्ड	-0.19	-2.12	-1.93	-5.26	-7.97	-2.71

(सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)

	राजस्व लेखा [घाटा (-)]			राजकोषीय लेखा [घाटा (-)]		
राज्य	**1993-96[क]**	**2000-03[ख]**	**[ख-क]**	**1993-96[ग]**	**2000-03[घ]**	**[घ-क]**
सिक्किम	8.10	11.30	3.20	-8.26	-3.42	4.84
त्रिपुरा	2.57	-0.61	-3.18	-4.04	-7.20	-3.15
जोड़ : विशेष श्रेणी के राज्य	**1.96**	**-2.53**	**-4.49**	**-3.64**	**-7.04**	**-3.40**
आंध्र प्रदेश	-0.51	-2.03	-1.51	-3.16	-4.57	-1.41
बिहार	-1.83	-1.87	-0.04	-2.85	-4.52	-1.67
गोआ	1.44	-2.44	-3.89	-2.30	-4.68	-2.38
गुजरात	0.10	-4.66	-4.75	-1.82	-5.74	-3.93
हरियाणा	-0.75	-1.32	-0.56	-2.50	-3.69	-1.19
कर्नाटक	-0.07	-2.21	-2.15	-2.71	-4.37	-1.65
केरल	-1.18	-4.17	-2.99	-3.32	-5.13	-1.81
मध्य प्रदेश	-0.61	-2.05	-1.44	-2.16	-3.94	-1.78
महाराष्ट्र	-0.09	-3.09	-3.00	-2.16	-4.12	-1.96
उड़ीसा	-2.00	-4.91	-2.91	-4.63	-7.84	-3.21
पंजाब	-1.88	-4.53	-2.66	-4.37	-6.14	-1.77
राजस्थान	-1.09	-3.87	-2.78	-4.51	-6.05	-1.54
तमिलनाडु	-0.71	-2.50	-1.78	-1.99	-3.75	-1.77
उत्तर प्रदेश	-1.77	-2.98	-1.21	-4.04	-5.07	-1.03
पश्चिम बंगाल	-1.53	-5.47	-3.95	-3.18	-7.31	-4.13
जोड़ : सामान्य श्रेणी के राज्य	**-0.86**	**-3.19**	**-2.33**	**-2.93**	**-4.97**	**-2.04**
सभी राज्य	**-0.72**	**-3.15**	**-2.43**	**-2.96**	**-5.08**	**-2.12**

स्रोत (मूल आंकड़े) : राज्य वित्त लेखा-विवरण

3.35 विशेष श्रेणी के राज्यों का 1993-96 के दौरान उच्च ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात था जिसमें जम्मू और कश्मीर का अनुपात 58 प्रतिशत के स्तर पर अधिकतम था जिसके बाद 53.7 प्रतिशत के स्तर पर सिक्किम का स्थान था। 1990 के दशक के अंतिम चरण में इन अनुपातों में तेजी से वृद्धि भी हुई। 2000-03 के दौरान मिजोरम का ऋण-जीएसडीपी अनुपात 85 प्रतिशत के स्तर पर सर्वाधिक था और इसके बाद 63.2 प्रतिशत के साथ सिक्किम, 61.8 प्रतिशत के साथ हिमाचल प्रदेश तथा 56 प्रतिशत के साथ जम्मू और कश्मीर तथा 54.8 प्रतिशत के साथ अरुणाचल प्रदेश का स्थान था। समीक्षाधीन अवधि की औसतों को तुलना करें तो सर्वाधिक गिरावट मिजोरम के मामले में आई जो उसके जीएसडीपी का 32.3 प्रतिशतांक थी और इसके पश्चात अपने जीएसडीपी के सापेक्ष में 19.8 प्रतिशतांक के साथ हिमाचल प्रदेश तथा 18.3 प्रतिशतांक के साथ अरुणाचल प्रदेश का स्थान रहा।

सारणी 3.9
जीएसडीपी के सापेक्ष में बकाया ऋणः राज्यवार स्थिति

(प्रतिशत)

राज्य	**1993-96[क]**	**2000-03[ख]**	**कालम[ख-क]**
अरुणाचल प्रदेश	36.48	54.82	18.34
असम	31.40	34.75	3.35
हिमाचल प्रदेश	41.95	61.79	19.84
जम्मू और कश्मीर	58.01	55.99	-2.02
मणिपुर	38.16	47.88	9.72
मेघालय	24.12	38.68	14.56
मिज़ोरम	53.05	85.29	32.25
नागालैण्ड	42.71	49.91	7.20
सिक्किम	53.65	63.24	9.59
त्रिपुरा	38.77	38.11	-0.67
जोड़ : विशेष श्रेणी के राज्य	**39.68**	**47.17**	**7.48**
आंध्र प्रदेश	21.86	29.93	8.07
बिहार	36.80	44.35	7.55
गोआ	41.64	33.54	-8.10
गुजरात	21.07	37.92	16.85
हरियाणा	19.85	28.02	8.17
कर्नाटक	19.62	27.27	7.65
केरल	27.27	37.58	10.32
मध्य प्रदेश	19.95	30.42	10.47
महाराष्ट्र	15.63	27.11	11.48
उड़ीसा	36.21	63.68	27.47
पंजाब	34.55	46.66	12.10
राजस्थान	28.28	44.88	16.60
तमिलनाडु	18.87	26.16	7.29
उत्तर प्रदेश	33.94	46.94	13.00
पश्चिम बंगाल	23.26	42.73	19.47
जोड़ : सामान्य श्रेणी के राज्य	**24.12**	**36.06**	**11.94**
सभी राज्य	**24.86**	**36.65**	**11.79**

स्रोत (मूल आंकड़े) : राज्य वित्त लेखा-विवरण

राज्यों का तुलनात्मक निष्पादनःराज्यों के अपने कर राजस्व

3.36 राज्यों की हताशा भरी वित्तीय स्थिति में एक मात्र सकारात्मक विशेषता राज्यों द्वारा अपने कर संबंधी प्रयासों का निष्पादन है। सारणी 3.10 दर्शाती है कि 1993-96 तथा 2000-03 की दो अवधियों के औसतों को देखते हुए विशेष श्रेणी तथा सामान्य श्रेणी वाले राज्यों तथा केवल कुछ को छोड़कर सभी अलग-अलग राज्यों के कर-जीडीपी अनुपात में बढ़ोतरी हुई है। समीक्षाधीन अवधि-औसतों के दौरान सभी राज्यों के जीएसडीपी के सापेक्ष में सभी राज्यों में उनके अपने अपने समूह जीएसडीपी की तुलना में कुल 0.67 प्रतिशतांक की वृद्धि, विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में 0.66 प्रतिशतांक तथा सामान्य श्रेणी वाले राज्यों के मामले में 0.69 प्रतिशतांक की वृद्धि हुई। अलग-अलग राज्यों के संदर्भ में जहां उनके 2000-03 के औसतों के संबंध में उनके कर जीडीपी अनुपात में गिरावट आई, केवल गोआ, कर्नाटक, केरल तथा पश्चिम बंगाल ही अपवाद है जिनमें पहले तीन राज्यों में स्थिति उच्च से कम-उच्च स्तर पर आई वहीं पश्चिम बंगाल में 1993-96 की अवधि में भी निम्न कर - जीएसडीपी अनुपात रहा। विशेष श्रेणी वाले राज्यों के अंतर्गत केवल मणिपुर ने कर-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट दर्शाई है।

सारणी 3.10

राज्यों के अपने कर राजस्व (ओटीआर): राज्यों का तुलनात्मक निष्पादन

	औसत ओटीआर/जीएसडीपी (%)			आधिक्य
राज्य	1993-96 [क]	2000-03 [ख]	[ख-क]	1993-03
अरुणाचल प्रदेश	0.55	1.47	0.91	2.543
असम	3.69	4.58	0.90	1.326
हिमाचल प्रदेश	4.87	5.08	0.21	1.043
जम्मू और कश्मीर	3.11	4.51	1.40	1.443
मणिपुर	1.44	1.21	-0.23	0.842
मेघालय	3.02	3.26	0.23	1.089
मिज़ोरम	0.59	0.97	0.38	1.608
नागालैण्ड	1.18	1.19	0.01	0.980
सिक्किम	3.44	4.58	1.15	1.303
त्रिपुरा	1.95	2.19	0.24	1.105
जोड़ : विशेष श्रेणी राज्य	**3.30**	**3.96**	**0.66**	**1.226**
आंध्र प्रदेश	5.90	7.30	1.40	1.271
बिहार	3.71	4.46	0.75	1.290
गोआ	7.91	6.46	-1.45	0.806
गुजरात	7.51	7.71	0.20	1.010
हरियाणा	7.22	8.30	1.09	1.205
कर्नाटक	8.53	8.33	-0.19	0.969
केरल	8.45	8.11	-0.34	0.946
मध्य प्रदेश	4.91	6.45	1.53	1.452
महाराष्ट्र	6.64	7.76	1.12	1.221
उड़ीसा	3.93	5.81	1.87	1.639
पंजाब	6.88	7.13	0.25	1.061
राजस्थान	5.50	6.48	0.98	1.231
तमिलनाडु	8.40	9.00	0.60	1.110
उत्तर प्रदेश	4.76	5.88	1.12	1.318
पश्चिम बंगाल	5.46	4.26	-1.20	0.690
जोड़ : सामान्य श्रेणी राज्य	**6.26**	**6.95**	**0.69**	**1.143**
सभी राज्य	**6.12**	**6.79**	**0.67**	**1.141**

स्रोत (मूल आंकड़े) : राज्य वित्त लेखा-विवरण

3.37 वर्ष 2000-03 के दौरान, कर जीएसडीपी के अनुपात के संदर्भ में तमिलनाडु का अनुपात सर्वाधिक रहा जो जीएसडीपी के 9 प्रतिशत के स्तर पर था। इसके साथ ही सामान्य श्रेणी के राज्यों में पश्चिम बंगाल का कर जीएसडीपी अनुपात 4.26 प्रतिशत के रूप में निम्नतम स्तर पर था। असम के साथ-साथ, सामान्य श्रेणी के राज्यों से संबंधित कर जीएसडीपी अनुपात को चित्र 3.2 में दर्शाया गया है। राज्यों को प्रति व्यक्ति तुलनीय जीएसडीपी के (1999-2002 का औसत) आरोही क्रम में दर्शाया गया है। लघुगणकीय प्रवृत्ति रेखा को भी दर्शाया गया है। यह प्रतिमान सकारात्मक संबंध को दर्शाता है और यदि उच्चतर आय के मामले में पंजाब और गोआ, मध्य क्रम में पश्चिम बंगाल तथा प्रति व्यक्ति निम्न कर जीएसडीपी के संदर्भ में असम और बिहार के अपवाद को छोड़ दें तो यह प्रतिमान और भी बेहतर हो सकता था। कर जीएसडीपी अनुपात के संदर्भ में इन राज्यों ने अपने पड़ोसी राज्यों द्वारा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी स्तर के संबंध में स्थापित स्तर से कम निष्पादन दर्शाया है।

3.38 सारणी 3.10 के अंतर्गत, राज्यों के प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के संदर्भ में उनके अपने कर-राजस्वों के आधिक्य को दर्शाया गया है जो प्रति व्यक्ति तुलनात्मक जीएसडीपी में एक प्रतिशत के परिवर्तन के बाद उनके अपने राजस्वों में वृद्धि की मात्रा को इंगित करता है जिसके लिए प्रति व्यक्ति तुलनीय जीएसडीपी को कर आधार का वृहद् संकेतक माना गया है। कर आधिक्य का यह अनुमान 1993-2003 की अवधि के लिए है। यदि निम्न कर-डीएसडीपी अनुपात वाले राज्यों के राजस्व में बढ़ोतरी होती है तो धीरे-धीरे उनके कर-जीएसडीपी अनुपात में भी सुधार होगा। यदि कर में वृद्धि 1 से कम है, तो कर-जीएसडीपी अनुपात धीरे-धीरे कम हो जाएगा। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के स्तरों हेतु समायोजन किया जाए तो यह वांछनीय होगा कि चार्ट के नीचे वाले हिस्से में दिए गए राज्य उच्च कर आधिक्य दर्शाएं। इस संदर्भ में, निम्न श्रेणी से लेकर मध्य श्रेणियों वाले राज्य, केवल पश्चिम बंगाल के अपवाद को छोड़कर, एक बेहतर तस्वीर दर्शाते हैं।

चित्र 3.2

जीएसडीपी (2000-03) के सापेक्ष में राज्यों के अपने कर-राजस्व

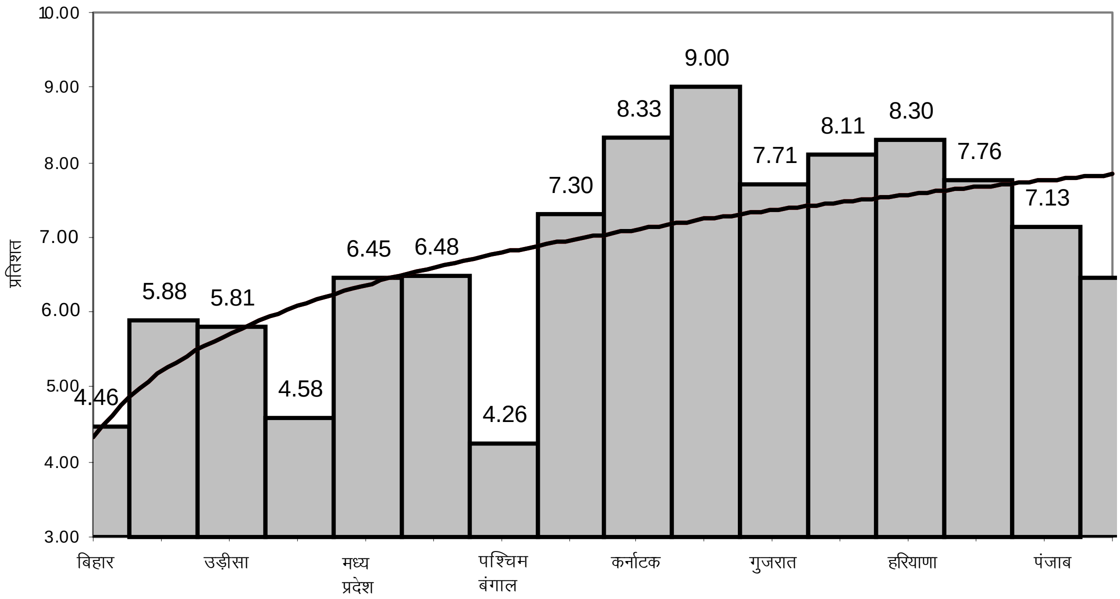

राज्य (प्रति व्यक्ति जीएसडीपी-औसत - 1999-2002 के आरोही क्रम में)

राज्यों का तुलनात्मक निष्पादनः व्यय

3.39 जीएसडीपी स्तरों की तुलना में राजस्व व्यय के संदर्भ में 1993-96 तथा 2000-03 की दो अवधियों के औसत की तुलना करें तो सारणी 3.11 सामान्य वृद्धि की प्रवृति दर्शाती है। तथापि, पूंजीगत व्यय का समनुरूप अनुपात विपरीत दिशा में परिवर्तन दर्शाता है। विशेष श्रेणी वाले राज्यों (एससीएस) के लिए दो अवधि वाले औसतों के बीच 1.4 प्रतिशतांक की वृद्धि हुई है। सामान्य श्रेणी वाले राज्यों में जीएसडीपी की तुलना में राजस्व व्यय के अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि गुजरात (5.9 प्रतिशत) तथा उड़ीसा (5.7 प्रतिशत) के संबंध में हुई है। सबसे कम वृद्धि गोआ (0.1 प्रतिशत) तथा हरियाणा (0.4 प्रतिशत) राज्यों में हुई है। जीएसडीपी की तुलना में राजस्व व्यय में वृद्धि का मुख्य कारण उक्त अवधि के दौरान वेतन और पेंशन में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ बढ़ता हुआ ऋण-शोधन भार भी है।

सारणी 3.11

राज्यः व्यय में तुलनात्मक प्रवृत्तियां

(जीएसडीपी का प्रतिशत)

	राजस्व व्यय			पूंजी व्यय		
राज्य	**1993-96[क]**	**2000-03[ख]**	**[ख-क]**	**1993-96[ग]**	**2000-03[घ]**	**[घ-क]**
आंध्र प्रदेश	13.47	15.56	2.08	3.87	2.93	-0.94
बिहार	16.50	18.11	1.60	1.04	2.67	1.63
गोआ	17.11	17.25	0.13	3.86	2.33	-1.54
गुजरात	12.52	18.37	5.85	2.37	2.43	0.06
हरियाणा	13.06	13.45	0.39	2.33	2.52	0.18
कर्नाटक	13.96	15.33	1.36	3.08	2.44	-0.64
केरल	14.93	16.11	1.18	2.23	1.07	-1.16
मध्य प्रदेश	13.29	16.74	3.45	1.90	2.37	0.47
महाराष्ट्र	10.68	14.10	3.42	2.56	1.47	-1.09
उड़ीसा	16.49	22.22	5.74	2.83	3.23	0.40

(जीएसडीपी का प्रतिशत)

	राजस्व व्यय			पूंजी व्यय		
राज्य	1993-96[क]	2000-03[ख]	[ख-क]	1993-96[ग]	2000-03[घ]	[घ-क]
पंजाब	12.75	15.33	2.59	2.65	2.11	-0.54
राजस्थान	15.43	18.06	2.63	3.89	2.30	-1.59
तमिलनाडु	13.95	15.60	1.66	1.85	1.51	-0.34
उत्तर प्रदेश	14.28	16.78	2.50	2.63	2.23	-0.40
पश्चिम बंगाल	11.80	15.02	3.23	1.78	1.94	0.16
सामान्य श्रेणी	**13.33**	**16.05**	**2.72**	**2.51**	**2.12**	**-0.38**
विशेष श्रेणी	**26.27**	**27.66**	**1.40**	**5.71**	**4.69**	**-1.03**
सभी राज्य	**13.94**	**16.67**	**2.72**	**2.66**	**2.26**	**-0.40**

स्रोतः राज्य वित्त लेखा-विवरण

3.40 जीएसडीपी की तुलना में राजस्व व्यय के स्तरों को देखें तो 2000-03 के औसत दर्शाते हैं कि विशेष श्रेणी राज्य समूह का अनुपात सामान्य श्रेणी वाले राज्यों के अनुपात से 10 प्रतिशतांक अधिक है। इस समूह में, उड़ीसा का अनुपात अपवादिक रूप से 22.2 प्रतिशत के उच्च स्तर पर है। निचले स्तर पर हरियाणा का अनुपात 13.5 प्रतिशत तथा महाराष्ट्र का अनुपात 14.1 प्रतिशत है और केवल यही दो राज्य ऐसे हैं जिनका अनुपात 15 प्रतिशत से कम है।

3.41 आशा के अनुरूप, राजस्व व्यय में वृद्धि होने से पूंजी व्यय में गिरावट आई जिसमें विशेष श्रेणी के राज्यों ने जीएसडीपी अनुपात की तुलना में वर्ष 1993-96 और 2000-03 के बीच समूह प्रति समूह तुलना करने पर पूंजी व्यय में भारी मात्रा में कटौती प्रदर्शित की। जीसी एस वर्ग में वर्ष 2000-03 में उड़ीसा का पूंजी व्यय 3.2 प्रतिशत के स्तर पर उच्चतम स्तर पर और केरल का 1.1 प्रतिशत के स्तर पर निम्नतम था।

3.42 सारणी 3.12 में दो अन्य प्रमुख अनुपातों यथा कुल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज अदायगियों तथा जीएसडीपी के सामेक्ष पेंशन व्ययों के लिए आलोच्य अवधि के दौरान दो अवधियों के औसत की तुलनाएं दिखायी गई हैं। ऋण-भिन्न संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता के अभाव में अनेक राज्यों को वर्ष 1997-2000 के दौरान बढ़े हुए संशोधित वेतनमानों और पेंशनों के वित्तपोषण के लिए और अधिक मात्रा में उधारों पर निर्भर रहना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप टीआरआर (कुल राजस्व प्राप्तियों) अनुपात की तुलना में ब्याज अदायगियों के कारण इन राज्यों का ऋणशोधन भार अवहनीय स्तर तक बढ़ गया। विशेष श्रेणी वाले राज्य समूह के अंतर्गत, वर्ष 2000-03 के दौरान हिमाचल प्रदेश का आईपी-टीआरआर अनुपात 28.8 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर रहा। इस राज्य ने वर्ष 1993-96 की अवधि के दौरान इस अनुपात के अंतर्गत 12.9 प्रतिशतांक की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की। ऋणशोधन भार में वृद्धि के कारण विशेष श्रेणी वाले राज्यों की तुलना सामान्य में समाप्त श्रेणी वाले राज्य अधिक प्रभावित हुए हैं। वर्ष 1993-96 की अवधि की तुलना में 2000-03 के दौरान 24.00 प्रतिशतांक के साथ पश्चिम बंगाल ने आईपी-टीआरआर अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2000-03 के दौरान इसका 44.3 प्रतिशत आईपी-टीआरआर अनुपात सभी राज्यों में सर्वाधिक है। इसके पश्चात् 38.5 प्रतिशत अनुपात के साथ पंजाब का स्थान है। नब्बे के दशक के दौरान इस राज्य के अनुपात का उच्च स्तर पर बने रहना इस तथ्य से प्रतिबिम्बित होता है कि 1993-96 के दौरान इसका आईपी-टीआरआर अनुपात 32.1 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर था। इन दो अवधियों के दौरान उड़ीसा तथा राजस्थान ने भी अपने आईपी-टीआरआर अनुपातों में क्रमशः 13.5 तथा 13.2 प्रतिशतांक की बड़ी वृद्धि दर्शाई है। 2000-03 के दौरान, कर्नाटक, अविभाजित मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु ने आईपी-टीआरआर के लगभग 18 प्रतिशत वाले कम स्तरों का प्रदर्शन किया है।

सारणी 3.12

राज्य व्यय प्रवृत्तियां : तुलनात्मक रुपरेखा

(जीएसडीपी का प्रतिशत)

	ब्याज अदायगी/टीआरआर			पेंशन व्यय/जीएसडीपी		
राज्य	1993-96[क]	2000-03[ख]	[ख-क]	1993-96[ग]	2000-03[घ]	[घ-क]
आंध्र प्रदेश	14.07	22.37	8.30	1.01	1.49	0.48
बिहार	21.78	24.92	3.14	1.01	2.82	1.82
गोआ	14.21	19.50	5.29	0.55	1.28	0.74

(जीएसडीपी का प्रतिशत)

	ब्याज अदायगी/टीआरआर			पेंशन व्यय/जीएसडीपी		
राज्य	**1993-96[क]**	**2000-03[ख]**	**[ख-क]**	**1993-96[ग]**	**2000-03[घ]**	**[घ-क]**
गुजरात	15.18	24.59	9.41	0.60	1.25	0.65
हरियाणा	15.26	23.35	8.09	0.54	1.10	0.56
कर्नाटक	12.08	18.07	6.00	0.92	1.42	0.50
केरल	17.61	27.34	9.73	1.72	2.57	0.85
मध्य प्रदेश	13.34	18.36	5.02	0.67	1.17	0.50
महाराष्ट्र	11.93	20.75	8.82	0.36	0.88	0.52
उड़ीसा	22.39	35.85	13.46	0.68	2.21	1.53
पंजाब	32.13	38.51	6.38	0.64	1.62	0.98
राजस्थान	17.38	30.57	13.19	0.73	1.91	1.18
तमिलनाडु	11.98	18.61	6.63	0.93	2.11	1.19
उत्तर प्रदेश	22.30	28.27	5.97	0.54	1.21	0.67
पश्चिम बंगाल	20.34	44.33	23.98	0.61	1.44	0.83
सामान्य श्रेणी	**16.70**	**25.40**	**8.70**	**0.72**	**1.51**	**0.80**
विशेष श्रेणी	**13.41**	**16.98**	**3.57**	**1.11**	**2.39**	**1.28**
सभी राज्य	**16.37**	**24.57**	**8.20**	**0.73**	**1.56**	**0.83**

स्रोतः राज्य वित्त लेखा-विवरण

3.43 वेतनमानों में संशोधन किए जाने के परिणामस्वरूप, पेंशन संबंधी देयताओं में अभूतपूर्व वृद्धि, जिसे सारणी 3.12 में दर्शाया गया है, से पता चलता है कि जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 2000-03 के दौरान देयताएं सामान्य श्रेणी वाले राज्यों के मामले में 1993-96 की अवधि के समनुरूप औसत से 1.28 प्रतिशत अधिक थी तथा विशेष श्रेणी वाले राज्यों के मामले में ये देयताएं 0.8 प्रतिशत अधिक थीं। 2000-03 के दौरान, सभी राज्यों में जीएसडीपी के सापेक्ष में पेंशन व्यय 1 प्रतिशत से लेकर 3 प्रतिशत तक के विभिन्न स्तर पर रहा। सामान्य श्रेणी वाले राज्यों के मामले में जीएसडीपी की तुलना में पेंशन के अनुपात में प्रतिशतांक वृद्धि की दृष्टि से सर्वाधिक वृद्धि अविभाजित बिहार (1.82), उड़ीसा (1.53) राजस्थान (1.18) तथा तमिलनाडु (1.19) में हुई।

3.44 संक्षेप में, वेतन और पेंशन संशोधनों तथा अन्य वृहत आर्थिक परिवर्तनों के प्रभाव का सामना किए जाने वाली अवधि के दौरान राज्यों के तुलनात्मक निष्पादन का मूल्यांकन करने के संदर्भ में 1993-96 और 2000-03 की अवधियों के औसतों की तुलना करने पर कुछ प्रमुख विशेषताएं जिन पर प्रकाश डाला जा सकता है, निम्नलिखित हैः

1. जीएसडीपी अनुपात की तुलना में राजस्व घाटे में सर्वाधिक वृद्धि पश्चिम बंगाल में तथा उसके पश्चात उड़ीसा, राजस्थान तथा पंजाब में दिखाई दी। बिहार ने न्यूनतम गिरावट दर्शाई। राजकोषीय घाटे के मामले में भी, सर्वाधिक गिरावट पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश के मामले में हुई। राज्यों की सूची यह दर्शाती है कि इस गिरावट के लिए केवल जीएसडीपी का स्तर ही जिम्मेदार नहीं था बल्कि राजकोषीय प्रबंधन के अन्य पक्ष भी महत्वपूर्ण थे।

2. 2000-03 के दौरान, सामान्य श्रेणी वाले राज्यों में, उड़ीसा का ऋण-जीएसडीपी अनुपात 63.7 प्रतिशत के स्तर पर सर्वाधिक था और इसके पश्चात् उत्तर प्रदेश (47 प्रतिशत), पंजाब (46.7 प्रतिशत), राजस्थान (44.9 प्रतिशत) तथा पश्चिम बंगाल (42.7 प्रतिशत) का स्थान था।

3. 2000-03 के दौरान, सर्वाधिक कर-जीएसडीपी अनुपात तमिलनाडु का था जो कि जीएसडीपी का 9 प्रतिशत था तथा न्यूनतम अनुपात पश्चिम बंगाल का था जो जीएसडीपी का 4.26 प्रतिशत था। हालांकि, जीएसडीपी का स्तर कर-जीएसडीपी अनुपात पर सकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित करता है लेकिन यदि प्रति व्यक्ति जीएसडीपी को निर्धारक तत्व माना जाए तो उच्च आय वर्ग में गोआ तथा पंजाब, मध्य आय श्रेणी में पश्चिम बंगाल तथा निम्न आय श्रेणी में असम और बिहार उम्मीद से निम्नतर निष्पादन प्रदर्शित करते हैं।

4. जीएसडीपी के सापेक्ष में राजस्व व्यय के संदर्भ में दो अवधियों के औसत की तुलना करने पर सर्वाधिक वृद्धि गुजरात और उड़ीसा के मामले में तथा न्यूनतम वृद्धि गोआ और हरियाणा के मामले में हुई।

5. पेंशन व्यय के संदर्भ में दो अवधि औसतों की तुलना करने पर जीएसडीपी के सापेक्ष में सर्वाधिक वृद्धि बिहार, उड़ीसा, राजस्थान तथा तमिलनाडु के मामले में हुई है।

निष्पादन के विभिन्न संकेतकों जिन्होंने गिरावट दर्शाई है, में कई उच्च तथा मध्य आय वर्ग वाले राज्यों की उपस्थिति इस बात का द्योतक है कि जहां बेहतर राजकोषीय स्थिति के लिए मजबूत संसाधनों के आधार महत्वपूर्ण हैं, वहीं राजकोषीय प्रबंधन की गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

निष्कर्षात्मक टिप्पणियां:

3.45 हमने देखा है कि वर्ष 1997-98 से 2002-03 तक की अवधि के दौरान वेतनों और पेंशनों में एक समय की वृद्धि और ब्याज दरों एवं वृद्धि दरों को प्रभावित करने वाले बृहत्-आर्थिक कारकों के कारण केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों ही के वित्त-साधनों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। एक दृष्टि से राज्यों के वित्त को बड़े पैमाने पर झटके लगे क्योंकि उनके पास कुल मिलाकर बड़ी मात्रा में सरकारी कर्मचारी हैं जिसके कारण उन्हें केंन्द्रीय सरकार द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज दरों सहित उच्च ब्याज दरों को वहन करना पड़ा और केन्द्र के कर-सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में आई गिरावट के प्रभाव को भी उन्हें सहना पड़ा था जिसके परिणामस्वरूप अन्तरणों के स्तर में भी अत्यधिक गिरावट आयी। वास्तव में 2000-03 के दौरान प्रत्याशित वृद्धि की अपेक्षा कम वृद्धि होने के कारण ग्याहवें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के प्रथम तीन वर्षों में पूर्वानुमानित कर अन्तरणों की अपेक्षा कम अन्तरण हुए।

3.46 इस तथ्य पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है कि सरकारी वित्तों और वृहत आर्थिक कार्य निष्पादन को एकल रूप में नहीं बल्कि परस्पर आश्रित तथा सम्पूर्ण रूप से सम्बद्ध दृष्टि से देखा जाना चाहिए। एक प्रकार से, बड़े पैमाने पर राजस्व घाटों का वित्त पोषण किए जाने से केन्द्र और राज्यों ने सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात की तुलना में सकल सरकारी बचतों की गिरावट में योगदान दिया है हालांकि जिसकी आंशिक प्रतिपूर्ति सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष घरेलू बचतों में वृद्धि के कारण हुई जिससे गिरती हुई विकास की दरों, घटते हुए अन्तरणों, बढ़ते हुए ऋणों, बढ़ती हुई ब्याज अदायगियों और बढ़ते हुए राजस्व घाटे के कुचक्र को प्रतिसंतुलित करने में सही दिशा मिली है। हमने बृहत् आर्थिक स्थिरता और सरकारी वित्तों की पुनर्संरचना की आवश्यकता के संदर्भ में इन विषयों का आगामी अध्याय में परीक्षण किया है।